

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 03/10/25

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.25 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं गवर्नमेंट काउंसिल्स को विभागों का आवंटन किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 28.07.25 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण को विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

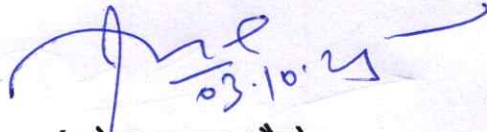
RHC, BENCH JAIPUR

S. No.	Name of Counsel	Department Allocated
1	Shri G.S. Gill	Department of Energy (Power)
2	Shri B.S. Chhaba	Department of Industries and Commerce, Department of Environment and Climate Change
3	Shri Surendra Singh Naruka	Policy Planning Cell, Chief Minister Secretariat, Cabinet Secretariat and State Enterprises Department
4	Shri Bhuvnesh Sharma	Skill Employment and Entrepreneurship Department
5	Shri Vigyan Shah	Department of Mines and Petroleum, Department of Medical Education, Medical (ESI) Department, Parliamentary Affairs, Law and Legal Affairs Department and Legal Remembrancer's Office and Justice Department
6	Shri Manoj Sharma	Planning Department, Planning (Manpower) Department
7	Shri Kapil Prakash Mathur	Finance (Excise) Department
8	Ms. Mahi Yadav	Finance (Commerical Taxes) Department

साथ ही श्री भरत व्यास, तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के साथ कार्यरत रहे असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल्स निम्नांकित अतिरिक्त महाधिवक्तागण के कार्यालय में उनके निर्देशन में राजकार्य संपादित करेंगे:-

क्र.सं.	असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल का नाम	अतिरिक्त महाधिवक्ता का नाम
1	सुश्री गरिमा आर्य	श्री गुरुचरण सिंह गिल
2	श्री सिद्धार्थ शर्मा	श्री भुवनेश शर्मा

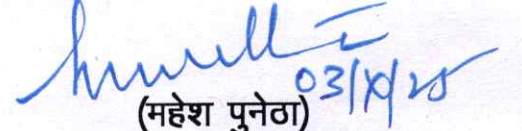
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।


(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच।
4. समस्त जिला न्यायाधीश, राजस्थान।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
7. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ को उपरोक्तानुसार विभागों की विचाराधीन पत्रावलियां संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय में से प्राप्त/सुपुर्द करने हेतु।

8. राजकीय अधिवक्ता मय अति० महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण, जोधपुर/जयपुर।
9. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल्स, जोधपुर/जयपुर।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. संबंधित कोषाधिकारी।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
17. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव